

प्रेषक

प्राचार्य
जिलाशिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
रतूड़ा (रुद्रप्रयाग)

सेवामें,

- 1- खण्ड शिक्षा अधिकारी
- 2- उप शिक्षा अधिकारी

अगस्त्यमुनि / जखोली / ऊखीमठ जनपद-रुद्रप्रयाग ।

पत्रांक: / मैमो0 / वै0कैलेन्डर / 2020-21दिनांक 29 अप्रैल 2020

विषय- कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु वैकल्पिक कलैन्डर के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड के पत्र संख्याअ0का0शो / शिविर / वै0के0 / 42-46 / 2020दि0 28 अप्रैल 2020 के अनुपालन में देशव्यापी लोकडाउन में घरोंमें कक्षा-कक्ष शिक्षण से दूर रह रहे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया के साथ-साथ उनकी शैक्षिक प्रगति को निरन्तर बनाये रखने के लिए NCERTद्वारा तैयार किये गये वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर को लागू किया जाना है । अभी यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को लागू किया गया है । आपको यह कैलेन्डर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपने विकासखण्ड के प्रत्येक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निम्न प्रकार क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें ।

विकास खण्डस्तर-

1-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्डमें 1 से 5 तथा 6 से 8 अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञों का संदर्भ समूह तैयार करें इन शिक्षकों / विद्यालय प्रमुखों को सुलभकर्ता शिक्षक के रूप में जाना जाएगा । प्रत्येक सुलभकर्ता शिक्षक अपने क्षेत्र/संकुल के शिक्षकों/ विद्यालय प्रमुखों का वट्सऐप ग्रुप, ई-मेलग्रुप आदि समूह तैयार कर जनपद स्तर से प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेन्डर एवं समय-समय पर प्राप्त शैक्षिक सामग्री को शिक्षकों / विद्यालय प्रमुखों तक पहुंचाएंगे ।

2-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड में संचालित कार्यक्रम की प्रगति दैनिक रूप से दूरसंचार एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त करते रहेंगे ।

3-सुलभकर्ता शिक्षक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं का भी अपने स्तर से निदान करेंगे अथवा उन्हें जनपद स्तर पर प्रेषित करेंगे ।

4-समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर संचालित गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्टई-मेल/वट्सऐप अथवा अन्य संचार माध्यमों से जनपद को प्रेषित करेंगे ।

विद्यालय / शिक्षक—

1—प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों, सेवित क्षेत्र के अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों, पी0टी0ए0 तथा जनप्रतिनिधियों से दूरसंचार, ई—मेल / वट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएंगे।

2—प्रत्येक शिक्षक अपने सन्दर्भ शिक्षक अथवा खण्ड शिक्षा अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्राप्त वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर तथा समय—समय पर प्राप्त शैक्षिक सामग्री का स्वयं अध्ययन कर अपने विद्यार्थियों / अभिभावकों तथा अन्य हित धारकों को ई—मेल / वट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे।

3—प्रतिदिन जहां तक संभव हो बच्चों तथा अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर बच्चों द्वारा किये जा रहे प्रगति व इस कार्य में बच्चों को आ रही कठिनाइयों के बारे में दूरसंचार, ई—मेल / वाट्सऐप अथवा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा जानकारी प्राप्त करेंगे व उन्हें इस सम्बन्ध में अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे।

4— यह ध्यान रखा जाय कि यह वैकल्पिक कैलेण्डर बच्चों को किसी भी तरह बोझ न लगे और न ही इसे क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में बच्चों अथवा अभिभावकों पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े अपितु बच्चेइसे रुचिकर रूप में लेते हुए अपने सीखने की प्रक्रिया को सतत बनाये रखें।

5— अध्यापक अपने स्तर से यदि कोई रुचिकर गतिविधि बच्चों को उपलब्ध कराना चाहें तो वे वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर में दिये गये लर्निंग आउटकम के अनुरूप ही हों व इसे उच्चस्तर पर भी शेरर आवश्यक किया जाय।

6— यद्यपि अभी कक्षा 6 से बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ है तथापि सेवित स्कूलों से जहां कक्षा 5 से उत्तीर्ण बच्चों द्वारा प्रवेश लिया जाना है उस विद्यालय के प्रधानाध्याप / प्रधानाचार्य एवं शिक्षक सम्भावित विद्यार्थियों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करें तथा उन्हें वैकल्पिक अकादमिक कैलेण्डर योजना से जोड़े, इस प्रकार उन बच्चों का शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित भी किया जा सकता है।

7— यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सीखने के स्तर का भी निरन्तर संज्ञान लेता रहे इस हेतु शिक्षक इसका अभिलेखीकरण भी कर सकते हैं।

टापके विकास खण्ड में पूर्व से ही संकुलो का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक संकुल प्रभारी द्वारा अपने संकुल के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के शिक्षकों का वट्स—एप्प ग्रुप तैयार किया जाना है। शिक्षकों के माध्यम से ही कैलेण्डर के अनुसार पाठ्य सामग्री बच्चों तक पहुंचायी जानी है। आप निम्न प्रारूप पर सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करवाये—

प्रारूप

विकासखण्ड कानाम-

क्र०स०	संकुलकानाम	प्रभारीकानाम	व्त्स-एप्प मो०न०	सेवित प्रा०वि० कानाम	सेवित उ०प्रा०वि० का नाम(हाई०,इण्टर सहित)

भवदीय


प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
रतूड़ा (रुद्रप्रयाग)

पृ०सं० / /मैमो०/वै०कैलेन्डर/2020-21 दिनांकउक्तवत।

प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित-

1. निदेशक अकदमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) जनपद रुद्रप्रयाग।


प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
रतूड़ा (रुद्रप्रयाग)